[illegible] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज.

बईजलास– श्री प्रवीण कुमार आर ए एस कैम्प–चांदजीकीखेडी

[illegible]करण संख्या 22 / 2016 तारीख दायर30–11–2016

विमला बेवा मोहनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया

–वादिया

बनाम

लादू निता गंगाराम जाति गूर्जर उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान

––प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 5-6-2018

वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है वादिया ने एक राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद् प्रतिवादी इस न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राखोली पटवार मण्डल चांदजी की खेडी मे वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 475 / 366 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है । उक्त आराजियात मे वादिया के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है । प्रतिवादी ने वादिया की खातेदारी भूमि पर माह फरवरी 2016 से जबरन अनाधिकार प्रवेश करना प्रारंभ कर शनै शनै उक्त आराजी के 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अपने भुजबल व पाश्विक बल के आधार पर कब्जा कर लिया । वादिया द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादी ने वादिया को कहा कि पत्थरगढी होने पर कब्जा छोड देने के लिये सहमति दी । वादिया द्वारा दिनांक 15'6'2016 को पत्थरगढी कराई तब जाहिर आया कि वादयिा की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है । दिनांक 20–6–16 को वादिया ने प्रतिवादी को कब्जा हटाने के लिए कहा तो इन्कार कर दिया व झगडा करने पर उतारू हो गया । वादिया को झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देने लग गया । जिससे वादिया ने कब्जा हटाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है । अतः प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा वादिया को सिपूर्द किया

05/06/18

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

जावे साथ ही कब्जा प्राप्ति दिनांक तक भूमि का मुआवजा भी वादिया प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है । वादपत्र वादी डिक्री करा कब्जा दिलाना फरमावे ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई ।

प्रतिवादी बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से प्रकरण मे प्रतिवादी के विरूध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये ।

प्रकरण के साथ दस्तावेजी साक्ष्य मे स्वयं के खाते की नकल जमाबंदी व सीमाज्ञान के पर्चे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है ।

मौखिक साक्ष्य मे वादिया स्वयं पी0डबल्यू 1 के बयान करवाये गये बयान मे लिखाया कि मेरे नाम ग्राम राखोली मे 2 बीघा ऊपर जमीन है। लगभग 5 बीघा होगी । 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर लादू पिता गंगाराम गूर्जर ने कब्जा कर रखा है । हमने पत्थरगढी भी कराई कब्जा हटाने के लिए कहा तो इन्कार कर दिया । 2 वर्ष से प्रतिवादी का कब्जा है । प्रतिवादी का कब्जा हटा पुनः जमीन मेरे कब्जे मे लेना चाहती हूँ । अन्य किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बन्द की गई । प्रतिवादी के खिलाफ पुर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही है ।

प्रकरण मे वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता वादि ने बहस के दौरान वादपत्र मे अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया तथा बताया कि भूमि की वादिया खातेदार है वादिया की भूमि पर प्रतिवादी का 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा है। पत्थरगढी का पर्चा प्रस्तुत किया जो इक्स–2 है । जमाबंदी की प्रति ईएक्स–1 प्रस्तुत की है । पत्थरगढी पर्चे से प्रतिवादी का कब्जा स्पष्ट है। वादपत्र डिक्री फरमा कब्जा वादिया को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया ।

पत्रावली मे संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 ईएक्स 1 के अवलोकन से वादिया ग्राम राखोली की आराजी नम्बर 475/366 रकबा 5 बीघा भूमि की वादिया खातेदार है। तथा ईएक्स–2 पत्थरगढी का पर्चा के अवलोकन से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर लादू पिता गंगाराम गूर्जर राखोली का कब्जा पाया गया है। स्पष्ट है । प्रतिवादी न्यायालय मे बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहा है। प्रस्तुत वादपत्र वादिया डिक्री योग्य है ।

05/06/18

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

अतः वादवपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरूध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम राखोली स्थित आराजी नम्बर 475/366 रकबा 5 बीघा भूमि मे से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर भूमि वादीया को सिपूर्द किये जाने के आदेश ,दिये जाते है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें । डिक्री मुर्तिव हो।

आदेश आज दिनांक 05/06/18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

05/06/18

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलिया

बिजौलिया(भीलवाड़ा)

कैम्प–चाँदजी की खेडी